# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

## पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **325/2017**

प्रार्थी :– 1. हरीराम पुत्र बुधाराम कौम मेगवाल निवासी रामसीन तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

**बनाम**

विप्रार्थी :–

1. रमेश कुमार पुत्र हस्तीमल कौम जटिया नि. बालोतरा
2. हल्का पटवारी पटवार हल्का खेड।
3. भू–अभिलेख निरीक्षक साजियाली
4. भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा।
5. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा।

**आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम**

**उपस्थित :– 1. श्री अचलाराम थोरी, प्रार्थीगण वकील**

**2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय**

**'आदेश'**

दिनांक :– 18.07.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया सरहद मौजा खेड मे मूल खसरा संख्या 76 अवस्थित रहा है, जिसका क्षेत्रफल 08 बीघा रहा में से बालोतरा से बाडमेर [illegible] वा[illegible]ख्य सडक का निर्माण हो जाने से खसरा संख्या 76/1 रकबा 00.10 [illegible] खसरा संख्या 76/2 रकबा 01.10 बीघा गैर मुमकिन सडक व खसरा संख्या 76/3 रकबा 06.00 बीघा कुल बीघा 08.00 बीघा मूल खसरा मे से सडक निर्माण हो जाने की वजह से मौके पर उक्त भूमि के तीन टुकडे हुए, एक भाग सडक के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दक्षिण दिशा मे रहा तथा दुसरा भाग सडक के बदिशा उत्तर की तरफ रहा, प्रार्थी की भूमि मुख्य सडक के बदिशा उत्तर मे आई हुई है, जिसके बदिशा दक्षिण मे सडक का पडौस लगता है, तथा दूसरे तरमीमी खसरे के भाग की भूमि 76/3 मुख्य सडक से दक्षिण मे अवस्थित है, उक्त तथ्य पंजीकृत बैचाननामा मे वर्णित पडोस से ही स्पष्ट है । विप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने राजस्व रेकर्ड मे अपनी स्वार्थ सिद्वी हेतु जैसा चाहा वैसा अंकन अपने मन मुताबिक समय–समय पर नक्शा लट्ठा ट्रेस मे किया जाता रहा है, कभी नक्शा लट्ठा ट्रेस मे मौके पर अवस्थित सडक मे मोड नही होते हुए भी मोड दर्शाया जाता है, कभी सडक के दोनो तरफ अलग –अलग भूमि होना दर्शाया जाता है और कभी नक्शा मे किसी प्रकार की तरमीम ही अंकित नहीं होना दर्शाया जाता है, इस कारण मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी, क्योकि विप्रार्थी सं. 02 व 03 ने अपने पद का दुरूपयोग कर राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा ट्रेस मे टेपरिंग के माध्यक से खसरा संख्या 76/3 जिसका क्षेत्रफल 06 बीघा है, मौके पर सडक मे भूमि कट जाने की वजह से मूल खसरा मे जिस जगह सडक का निर्माण हुआ है, वहां सडक रेकर्ड नक्शा मे तरमीम नहीं है और जिस जगह तरमीम अंकित है वहां सडक मौके पर अवस्थित नहीं है, इस कारण तरमीमी खसरान की जमाबंदी व नक्शा लटटा ट्रेस मे दर्ज रकबा मिलान नहीं होने से ना ही प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये लट्टा ट्रेस मे बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के की गई तरमीम को हटाई जाने का निर्णय किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:38 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस भिजवाये गये। विप्रार्थीगण को जारी नोटिस बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी । नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय बालोतरा को मौका कमीश्नर नियुक्त कर मौके व रेकर्ड की रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तलब की गई ।नायब तहसीलदार बालोतरा से मौका रिपोर्ट दिनांक 23.6.23 को प्राप्त हुई । मौका रिपोर्ट अनुसार मौका निरीक्षण करने मे पाया कि खसरा संख्या 76/3 में बंरग लाल चार–दीवारी बनी हुई है जो कि कई वर्ष पुरानी है जिसकी ऊंचाई 3 फीट लगभग है। उक्त खसरा संख्या 76/3 मे नई छीण की पटि्या लगी हुई है जिस पर हरीराम पुत्र बुधाराम नाम कलर से लिखा हुआ है। खसरा संख्या 2056/76 मे पक्का टांका बना हुआ है जो खातेदार रमेश कुमार पुत्र हस्तीमल का होना बताया। खसरा संख्या 76/3 की चार दीवारी भी रमेशकुमार पुत्र हस्तीमल की होना बताया । हरिराम से पूछने पर उसने छीण की पटि्यां लगी भूमि उसकी होनी बताया। वर्तमान कट्ठा ट्रेस मे अंकित खसरा संख्या 76/1 मे आशिंक रूप से पडौसी खातेदार का कब्जा है ।

हमनें विद्ववान प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि खसरा मूल संख्या 76 अवस्थित रहा है, जिसका क्षेत्रफल 08 बीघा रहा मे [illegible] बाडमेर जाने वाली मुख्य सडक का निर्माण हो जाने से खसरा संख्या 76/1 रकबा 00.10 बीघा, खसरा संख्या 76/2 रकबा 01.10 बीघा गैर मुमकिन सडक व खसरा संख्या 76/3 रकबा 06.00 बीघा कुल बीघा 08.00 बीघा मूल खसरा मे से सडक निर्माण हो जाने की वजह से मौके पर उक्त भूमि के तीन टुकडे हुए, एक भाग सडक के दक्षिण दिशा मे रहा तथा दुसरा भाग सडक के बदिशा उत्तर की तरफ रहा, प्रार्थी की भूमि मुख्य सडक के बदिशा उत्तर मे आई हुई है, जिसके बदिशा दक्षिण मे सडक का पडौस लगता है, तथा दूसरे तरमीमी खसरे के भाग की भूमि 76/3 मुख्य सडक से दक्षिण मे अवस्थित है, उक्त तथ्य पंजीकृत बैचाननामा मे वर्णित पडोस से ही स्पष्ट है । विप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने राजस्व रेकर्ड मे अपनी स्वार्थ सिद्वी हेतु जैसा चाहा वैसा अंकन अपने मन मुताबि समय–समय पर नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:38 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लट्ठा ट्रेस मे किया जाता रहा है, कभी नक्शा लट्ठा ट्रेस मे मौके पर अवस्थित सडक मे मोड नही होते हुए भी मोड दर्शाया जाता है, कभी सडक के दोनो तरफ अलग –अलग भूमि होना दर्शाया जाता है और कभी नक्शा मे किसी प्रकार की तरमीम ही अंकित नहीं होना दर्शाया जाता है, इस कारण मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी, क्योकि विप्रार्थी सं. 02 व 03 ने अपने पद का दुरूपयोग कर राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा ट्रेस मे टेपरिंग के माध्यक से खसरा संख्या 76/3 जिसका क्षेत्रफल 06 बीघा है, मौके पर सडक मे भूमि कट जाने की वजह से मूल खसरा मे जिस जगह सडक का निर्माण हुआ है, वहां सडक रेकर्ड नक्शा मे तरमीम नहीं है और जिस जगह तरमीम अंकित है वहां सडक मौके पर अवस्थित नहीं है इस कारण तरमीमी खसरान की जमाबंदी व नक्शा लटटा ट्रेस मे दर्ज [illegible]लान नहीं होने से ना ही प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये लटटा ट्रेस मे बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के की गई तरमीम को [illegible] निरस्त किया । विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 5 एकपक्षीय । विप्रार्थी संख्या 4 की ओर से नायब तहसीलदार बालोतरा की और से मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी रमेश कुमार के विवादित खसरान 76/3 को होना बताया गया है ।

हमने पत्रावली मे प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजात व नायब तहसीलदार बालोतरा की मौका रिपोर्ट के अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना बहस मनन किया जमाबंदी दस्तावेजात मे प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है, अलावा इसके प्रकरण मे क्षेत्राधिकार व बंटवाडा के अभाव मे सम्पूर्ण मूल खसरा संख्या 76 की स्वेच्छा से की गई तरमीम को हटाया निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

[illegible]
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा खेड मे मूल खसरा संख्या 76 वर्तमान तरमीमी 76/1, 953/76, 76/3, 2056/76 अवस्थित रहा है, जिसका क्षेत्रफल 08 बीघा की नक्शा लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीम को हटाकर पुनः नये सिरे से तरमीम की कार्यवाही करें।

(विवेक व्यास)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) न्यायालय बालोतरा

आदेश आज दिनांक 18.7.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:38 IST
Reason: SelfAttested